न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रघुनाथगढ)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/117 /17	27.06.2017	18.05.2018

उनवान

1. जम्मा पुत्र मल खां जाति मेव निवासी ग्राम पाट खोहरी तहसील फिरोजपुर झिरका हरियाणा हाल काश्तकार ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ।

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1937 मिन रकबा 1.26 हैक्ट0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 1290 मिन रकबा 5 बीघा वाके ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित वाद में विवादित है। विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1290 मिन रकबा 5 बीघा आराजी वादी को गैरखातेदार अलोट हुई थी। जो पूर्व में बंजड आराजी थी। जिसका अलोटमेन्ट का नोट इन्तकाल सं. 159 दिनांक 06.12.1978 का जमाबन्दी सम्वत 2031 में लगा हुआ है उसी दिन से वादी का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। मौके पर आज भी वादी का कब्जा है। लेकिन पश्चातवर्ती राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की सहबन गलती से वादी का नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में नही हुआ । तथा उक्त आराजी को वादी के नाम अंकन करने के बजाय हाल जमाबन्दी में सिवायचक दर्ज किया हुआ है। जबकि मौके पर आज भी वादी का ही कब्जा काश्त है। उक्त आराजी की खातेदारी प्राप्त करने के लिए वादी ने जब हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो उसने बताया कि उक्त आराजी हाल राजस्व रिकार्ड में आपके नाम ना दर्ज होकर सिवायचक दर्ज है। इसलिए आपको खातेदारी नही मिल सकती। यदि खातेदारी प्राप्त करनी है तो पुराने राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त कर सक्षम न्यायालय से आदेश कराओं। उक्त आराजी पर वादी वक्त अलोटमेन्ट से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। इसलिए वादी को उक्त आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिए वादी अपने आप को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का कानूनन अधिकारी है।

अतः दावा पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1937 मिन रकबा 1.26 हैक्ट0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 1290 मिन रकबा 5 बीघा वाके ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर का अलोटमेन्ट इन्तकाल सं0 159 सम्वत 2031 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सममन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नही हुए। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी ने दावे के समर्थन में हाल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058, खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2028, खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2030, जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2031, जमाबन्दी सम्वत 2039, खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2033, खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2036, खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2037, खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैरमुस्तकिल काश्त सम्वत 2038, खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैरमुस्तकिल काश्त सम्वत 2046 की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट / शिविर रघुनाथगढ में दिनांक 18.05.2018 को पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1290 मिन रकबा 5 बीघा आराजी वादी को गैरखातेदार अलोट हुई थी। जो पूर्व में बंजड आराजी थी। जिसका अलोटमेन्ट का नोट इन्तकाल सं. 159 दिनांक 06.12.1978 का जमाबन्दी सम्वत 2031 में लगा हुआ है उसी दिन से वादी का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। मौके पर आज भी वादी का कब्जा है। लेकिन पश्चातवर्ती राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की सहबन गलती से वादी का नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में नही हुआ । तथा उक्त आराजी को वादी के नाम अंकन करने के बजाय हाल जमाबन्दी में सिवायचक दर्ज किया हुआ है। जबकि मौके पर आज भी वादी का ही कब्जा काश्त है। राजस्व कर्मचारियान द्वारा हुई गलती को दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादी का वाद संलग्न दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1937 मिन रकबा 1.26 हैक्ट0 जिसके

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज०

साबिक खसरा नम्बर 1290 मिन रकबा 5 बीघा वाके ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर का जमाबन्दी सम्वत 2031 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि हाल राजस्व में सिवायकचक बिला लगानी व किस्म बेहड के गलत इन्द्राज को कमलजन कर ताहाल राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम का जमाबन्दी सम्वत 2031 के अनुसार किस्म बंजड व खातेदारी में अंकन करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रघुनाथगढ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रघुनाथगढ)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/117 /17	27.06.2017	18.05.2018

उनवान

1. जम्मा पुत्र मल खां जाति मेव निवासी ग्राम पाट खोहरी तहसील फिरोजपुर झिरका हरियाणा हाल काश्तकार ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ।

..................वादी

बनाम

73. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
74. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादी का वाद संलग्न दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1937 मिन रकबा 1.26 हैक्ट0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 1290 मिन रकबा 5 बीघा वाके ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर का जमाबन्दी सम्वत 2031 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि हाल राजस्व में सिवायकचक बिला लगानी व किस्म बेहड के गलत इन्द्राज को कमलजन कर ताहाल राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम का जमाबन्दी सम्वत 2031 के अनुसार किस्म बंजड व खातेदारी में अंकन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)